प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 107 वर्ष 2009

कृष्ण कुमार परस्ते

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ हेतु प्रस्तुत
सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूं
सही/-
न्यायमूर्ति
8/10/2012

निर्णय हेतु सूचिबध्द दिनांकः 9/10/2012

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 107 वर्ष 2009

अपीलार्थीः कृष्ण कुमार परस्ते, पिता- बुधरी लाल परस्ते,

उम्र लगभग 34 वर्ष, निवास- ग्राम आमडोब,

थाना. गौरेला, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीः छत्तीसगढ़ राज्य

द्वाराः- थाना- गौरेला, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

(दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थितः

श्री योगेंद्र चतुर्वेदी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री एन.के. मेहता, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(9.10.2012)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रा रोड, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 26/2007 में दिनांक 20 जनवरी, 2009 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) आक्षेपित निर्णय के द्वारा, अपीलार्थी को निम्नलिखित तरीके से दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा दंडित किया गया है, एवं साथ ही साथ दण्डादेश को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

दोषसिद्धि	दण्डादेश
अंतर्गत धारा 302, भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास।
अंतर्गत धारा 449, भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का कठोर कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

पांचों अभियुक्तगण (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5) के विरुध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 449, 506-II और 302/149 के तहत अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया। उन्होने कथित तौर पर दुक्ली और उसकी पत्नी चमेलिया बाई की हत्या कारित की है। छटवां अभियुक्त, जिसका नाम भैयालाल है, किशोर था। अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान कथन किया गया कि संबंधित किशोर बोर्ड द्वारा उसका विचारण किया गया है और उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 3/12/2006 को शाम लगभग 5:00 बजे, छह अभियुक्तों ने विधि विरुद्ध सभा बनाई, घातक हथियारों से दंगा किया और उस सभा के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करते हुए, शिकायतकर्ता राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) के घर में प्रवेश कर उसके माता-पिता अर्थात् दुक्ली (पिता) और चमेलिया बाई (माता) की आपराधिक हत्या कारित कर

दिया। राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23 - मृतक व्यक्तियों का पुत्र) घटना के समय घर में मौजूद नहीं था। वह मवेशी चराने गया हुआ था। उसे ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है। वह अपने घर आया और झगड़े में हस्तक्षेप किया। वह इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी बना। राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-27) दर्ज कराई। दोनों घायल व्यक्तियों (उसके माता-पिता) को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा गया तथा डॉ. ए. एल. कुर्रम (अभियोजन साक्षी क्रमांक 12) द्वारा उनका परीक्षण किया गया। उनकी एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्रदर्श पी.8 एवं प्रदर्श पी.9) हैं। चूंकि घायल व्यक्तियों की हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें सिम्स(सीआईएमएस), अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसकी पुलिस को सूचना भेजी गई और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.19 एवं प्रदर्श पी.20) दर्ज की गई। विवचना अधिकारी ने पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी. -21 एवं प्रदर्श पी. -22) जारी किए और मृतकों के शवों का शव पंचनामा रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-6 एवं प्रदर्श पी.-7) तैयार की गई। शवों को शव परीक्षण के लिए भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. विजय के. वर्मा (अभियोजन साक्षी क्रमांक 22) द्वारा किया गया, जिन्होंने मृतकों के शवों पर कई गंभीर चोटें पाईं और राय दी कि मृत्यु की प्रकृति मानववध है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.-43 एवं प्रदर्श पी.-44 हैं। आगे की विवेचना में, अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी.-29, प्रदर्श पी.-30, प्रदर्श पी.-31, प्रदर्श पी.-32 एवं प्रदर्श पी.-32-A) दर्ज किए गए, और उनकी निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त हथियार जब्त किए गए। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि हथियारों पर खून जैसा पदार्थ लगा हुए था, परंतु एफ.एस.एल. रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकी। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि वर्तमान अपीलार्थी, कृष्ण कुमार (अभियुक्त-5) ने बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) के समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति की थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय के कंडिका 11 द्वारा यह धारित किया कि राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) के साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हुआ कि सभी अभियुक्तगण ने मृतकों पर हमला किया था। तथापि, सत्र न्यायाधीश ने बलवीर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए माना कि अपीलार्थी (अभियुक्त-5) ने उनके समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति की थी, इसलिए केवल वही भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, अपीलार्थी (अभियुक्त-5) को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा अन्य अभियुक्तगण (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-4) को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र चतुर्वेदी ने तर्क दिया है कि बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) के साक्ष्य से न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्थापित नहीं हुई थी, इसलिए न्यायेतर स्वीकारोक्ति की उपरोक्त एकमात्र परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के पश्चात, हमने सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

(7) राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) मृतक व्यक्तियों का पुत्र है। घटना के समय वह अपने घर में उपस्थित नहीं था। उसे कुछ ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया कि उसके घर में झगड़ा हो रहा है। उसके अभिसाक्ष्य के अनुसार, उसने अपनी जान के भय से घर में प्रवेश नहीं किया। उसने केवल यह देखा कि अभियुगण उसके घर से बाहर आ रहे थे। राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक

23) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-27) दर्ज कराई गई। उसने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसने देखा कि अभियुक्तगण ने पहले उसके पिता पर हमला किया और जब उसकी माँ बचाव के लिए आई, तो उन पर भी हमला किया गया। उसने तथा एक अमृत लाल (अभियोजन साक्षी क्रमांक 1) ने भी घटना के समय हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। उसने अपने न्यायालीन कथन में यह अभिकथन नहीं किया कि उसने वास्तव में घटना देखी थी, जो उसके अनुसार उपरोक्त तरीके से घटित हुई थी। उसने केवल यह अभिकथन किया कि उसने देखा कि अभियुक्तगण उसके घर से बाहर आ रहे थे। इन्हीं कारणों से सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) के साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं हुआ कि अभियुक्तगणों ने मृतक व्यक्तियों पर हमला किया था। अमृत लाल (अभियोजन साक्षी क्रमांक 1) पक्षद्रोही हो गया तथा उसने राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) के कथन का भी समर्थन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्धि का आधार बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) के समक्ष अपीलार्थी (अभियुक्त-5) के न्यायेतर स्वीकारोक्ति को बनाया है।बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) ने अभिकथन किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी उसके पास आया और बोला कि, "दुक्ली और दुक्ली की पत्नी चमेली बाई को जैसे फिल्मी शैली में मारते हैं, वैसे मार दिया।" जब उसने आगे पूछा, तो अपीलार्थी ने कहा कि दशरू ने सब कुछ देखा है, घटना उसके सामने घटित हुई है, उसे दशरू से पूछना चाहिए। कुछ समय पश्चात राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) भी उसके पास आया और बताया कि "उसके माता-पिता की हत्या कर दी गई है और वह बिलासपुर जा रहा है।" बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) ने स्पष्ट शब्दों में अभिकथन किया कि राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक23) ने उसके सामने हमलावरों के नामों का उल्लेख नहीं किया था। बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर

दिया गया और लोक अभियोजक को उससे प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गई। उसके प्रतिपरीक्षण में कोई भी सारभूत तथ्य निकलकर नहीं आ सका। प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) ने केवल इतना कहा था कि उसके माता-पिता की हत्या कर दी गई है, लेकिन उसने अभियुक्तगण के नाम नहीं बताए। उसने बलवीर से अपने मवेशियों की देखभाल करने के लिए कहा था। बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) ने अपने वृतांत में सुधार करते हुए आगे कहा कि उस समय राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) के माता-पिता जीवित थे, इसलिए राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) ने कहा था कि वह उन्हें उपचार के लिए बिलासपुर ले जा रहा है। बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में, उसने कंडिका 5 की अंतिम पंक्ति में अभिकथन किया कि पुलिस ने उनसे घटना के बारे में पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस के सामने कोई कथन नहीं दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अनेक प्रकरणों में यह निर्धारित किया गया है कि यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में साक्ष्य ऐसे साक्षी/साक्षियों के मुख से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हो, अभियुक्त से दूर की भी कोई शत्रुता नहीं है, और जिनके बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है जिससे यह संकेत मिलता हो कि अभियुक्त पर असत्य कथन थोपने का उनका कोई उद्देश्य हो सकता है; यदि साक्षी द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध हों और त्रुटिहीन रूप से यह बोध करातें हों कि अभियुक्त ही अपराध का अपराधी है, तथा साक्षी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके विरुद्ध जाती हों, तत्पश्चात्, विश्वसनीयता की कसौटी पर साक्षी के साक्ष्य का कठोर परीक्षण करने के उपरांत, यदि वह परीक्षण में सफल होता है, तो न्यायेतर स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जा सकता है और वह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

(10) ***<u>एस.के. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 2011 एससी 2283</u>*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। यह स्थापित किया जाना अनिवार्य है कि वह सत्य है तथा स्वस्थ चित्त की स्थिति में स्वेच्छा से की गई है। साक्षी के शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध होने चाहिए और स्पष्ट यह दर्शाते हों कि अभियुक्त ही अपराध का अपराधी है। यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। *राजस्थान राज्य बनाम राजा राम, (2003) 8 एससीसी 180 और कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2011) 5 एससीसी 258* का अवलंब दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) वर्तमान प्रकरण में, न्यायेतर स्वीकारोक्ति का एकमात्र साक्षी पक्षद्रोही हो गया हैं। यदि हम उसके साक्ष्य को यथावत भी स्वीकार करें, तो उससे केवल यह आभास होता है कि अपीलार्थी ने उन्हें बताया था कि मृतकों की हत्या फिल्मी शैली में की गई है। उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है फिल्मी शैली में हत्या किसने की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि अपीलार्थी ने यह कथन किया था कि उसने स्वयं मृतकों की हत्या फिल्मी शैली में की है। अपीलार्थी के कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति से संबंधित बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) का साक्ष्य कमजोर और अस्पष्ट है। हमारा यह मत है कि बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) के साक्ष्य में उपरोक्त अंतर्निहित कमियों के आलोक में, उसके एकमात्र बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था। उपरोक्त के अतिरिक्त, उसका वृतांत राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) के साक्ष्य के उस भाग का खंडन करता है, जिसमें उसने कहा था कि उसने अभियुक्तगण को अपने घर से बाहर आते देखा था, क्योंकि बलवीर (अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) ने स्पष्ट रूप से अभिकथन किया है कि राम सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक 23) ने उसे हमलावरों या अभियुक्तगण के नाम नहीं बताए थे। हमारा यह मत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बलवीर

(अभियोजन साक्षी क्रमांक 5) के समक्ष दिए गए न्यायेतर स्वीकारोक्ति के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराकर गलती की है।

(12) उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। धारा 302 और 449, भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि तथा दंडादेश निरस्त किए जातें है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी 07.12.2005 से जेल में निरुद्ध है। यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायमूर्ति

सही/-
आर.एस. शर्मा,
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by – Vidhi Mehta